भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3864
जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

नामांकन फार्म में दिव्यांगता कॉलम

3864. श्री सय्यद ईमत्याज जलील :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्ति की दिव्यांगता का ब्यौरा नहीं मांगते हैं:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निर्वाचन आयोग से नामांकन फार्म में निःशक्तता संबंधी कॉलम शामिल करने पर विचार करने का आग्रह किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले आम चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने वाले निःशक्त व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : भारत के निर्वाचन आयोग ने यह सूचित किया है कि नामांकन पत्र और नामांकन भरते समय किसी व्यक्ति की दिव्यांगता से संबंधित जानकारी मांगने के लिए प्ररुप 26 के शपथ पत्र में ऐसा कोई स्तंभ नहीं है ।

(ग) : जी नहीं ।

(घ) : उपरोक्त (क) और (ख) को ध्यान मे रखते हुए, प्रश्न ही नही उठता है ।

****